पत्रांक: SHSB/GA/Legal/4660/2020/...9538....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : 22/03/2020

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु सभी अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 05 बेड का Isolation Ward क्रियाशील करने तथा इसके संचालन हेतु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर पदस्थापित चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस के बिहार में भी बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय सरकार की ओर से किये जा रहे हैं। कोरोना वायरस के रोक-थाम एवं चिकित्सकीय उपचार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में Isolation Ward क्रियाशील किया गया है। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से बिहार में आगन्तुको के आगमन से कोरोना वायरस के संदेहास्पद व्यक्तियों की संख्या बढ़ने की संभावना को दृष्टिपथ में रखते हुये ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की मुकम्मल व्यवस्था किये जाने की अनिवार्यता उच्चस्तरीय बैठक में समझी गयी है। इसी क्रम में जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/30 शय्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक रूप से 05 बेड का Isolation Ward क्रियाशील किया जाना है। यह व्यवस्था इन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव एवं अन्य आपात स्थिति एवं गंभीर रूप से बिमार मरीजों के इलाज के अतिरिक्त होगी तथा इनके वार्ड से बिल्कुल पृथक होगी।

2. जिलान्तर्गत उक्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 05 शय्याओं का Isolation Ward एक पृथक कमरे में संचालित किया जाय। यह Isolation Ward स्वास्थ्य संस्थान के सामान्य वार्ड या संस्थान की अन्य सुविधाओं से बिल्कुल पृथक होगा। इन Isolation ward के संचालन हेतु जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को संबंधित अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तत्काल Orient कर प्रतिनियुक्त किया जाय। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति इस विधि से किया जाय कि वहाँ सिर्फ प्रसव हेतु गर्भवती माताओं एवं फ्लू से संबंधित चिकित्सकीय कार्य की ही सुविधा फिलहाल दी जा सके। विशेष चिकित्सकीय कार्य/कार्यक्रम तत्काल स्थगित रहेंगे। इन स्वास्थ्य संस्थानों के Isolation ward

Scanned with CamScanner

के चिकित्सकों/कर्मियों हेतु मास्क, दस्ताना, Universal Protacation Kit (PPE Kit) आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। सभी चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुये तत्काल Orient किया जाय। COVID- 19 के चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु आवश्यक औषधियों एवं Medical Divices/Consumable की प्रयाप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

3. जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्व से पदस्थापित नियमित श्रेणी के चिकित्सको/संविदागत चिकित्सको एवं सभी श्रेणी के अन्य पारा चिकित्सको का रोस्टर इस विधि से निर्धारित किया जाय कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी स्वास्थ्य सेवायें 24x7 के रूप में संचालित रहे और मरीजों को उनके आवास पर भी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।

4. सभी अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्व से भर्ती मरीजों (COVID-19 एवं इससे संबंधित संदेहात्मक मरीजों को छोड़कर), जो सामान्य/स्थिर स्थिति में आ चुके है, उन्हें शीघ्र अस्पताल से मुक्त कर दिया जाय और नये सामान्य/स्थिर मरीजों की भर्ती को सीमित किया जाय।

5. उक्त का अनुपालन तुरत के प्रभाव से सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

22/3/2020

(संजय कुमार)

ज्ञापांक......9538...... पटना, दिनांक......22/03/2020......

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2020

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

Scanned with CamScanner